

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम संकेत । नाम मौजा मय

धाना वो धाना नम्बर

V

फरद मालकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जम्माबन्दी

वो सकुमत नम्बर।

Page No. : 63

Vol. No. : 21

Receipt No. : 0992714656

गुमला सदर गुमला 0059 RUKMANI SINGH		
खाना संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
439	943	0 एकड़ 6.25 दिसमिल 0 हेक्टर

भराती नकदी	भराती भावली	तफसील हिस्सा वगान भावली
------------	-------------	-------------------------

जौत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सांख्यान	बकाया				हाल (2019-2020)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष	
माल (नकदी)	3.00					3.00
गुजारी (भावली)	0.75					0.75
सेस	1.50					1.50
सूद	1.50					1.50
मुतफरकत	0.60					0.60
मीजान	7.35					7.35

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	सांख्यान	बकाया				मौतानवा हाल (2019-2020)	फजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
माल (नकदी)						3.00	
गुजारी (भावली)						0.75	
सेस						1.50	
सूद						1.50	
मुतफरकत						0.60	
मीजान अदायकारी						7.35	

(1) मीजान कुल (तफसील में) : Seven Rupees and Thirty Five Paise

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 7.35

तारीख अमला तहसील कुतिन्दा : 24-09-2019

घरल महल का बकाया मालगुजारी पर (सिपाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

रुप कमली सिंह

GUMLA NAGAR PARISHAD

हजारदण्ड नगरपालिका अधिनियम-२०११ की धारा १६२ (३) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No. : 484536031019105444

Date : 03-10-2019

प्रभावी : 2 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री RUKMANI SINGH S/O NAND KUMAR SINGH,
पौहला SARNA TOLI GUMLA GUMLA, 7979826903
GUMLA, 835207

पुनः द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 02000006523000M0 वार्ड सं 20 हुआ है. आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0% रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	83.00
2.	जल कर	0.00
3.	सौचालय कर	0.00
4.	गिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण को व्यवस्था नहीं होने के कारण)	9.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		93.00



To be signed by the Applicant

नोट:

1. कर निर्धारण की सूची, GUMLA NAGAR PARISHAD Website, www.harkhand.suda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
दियावत की जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिहायश दी जायेगी।
5. किसी देय घंटे को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण पत्र की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा साम्य निगम कर/संकेती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. GUMLA NAGAR PARISHAD द्वारा संप्रदित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/दलों को कोई कानूनी हिसाबत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिक) / दखतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नं.को का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

रुक्मणी सिंह